न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 129/2022

वादी :-
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितिः-वादी - श्री पारस चौहान अधिवक्ता।
प्रतिवादी - सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः- 04/10/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है एवं भारत का मूल नागरिक है। ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में सरकारी भूमि खसरा नंबर 575 रकबा 0.4854 हैक्टयर यानि(3.00 बीघा) किस्म बारानी स्थित है। उक्त खसरे की भूमि पर वादी का संवत् 2068 से नियमित रूप से आज दिन तक काविज चला आ रहा है। जिसके संबंध में पी-14 संवत् ..... की खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रतियां इस वाद के साथ संलग्न है। उक्त जमीन 0.4854 हैक्टेयर भूमि पर वादी काविज होने पर वादी ने उक्त जमीन पर लाखों रूपयो की लागत लगा कर काबिल काश्त बनवाया है जिसने काफी राशि खर्च हो चुकी है उक्त भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है जिस पर वादी सम्वत 2055 से आज दिन तक काविज है जिसका वादी ने आज दिन सरकारी जुर्माना आदेशानुसार नियमित रूप से जमा करवाते आया है खसरा परिवर्तनशील नकले व जुर्माना राशि की रसीद, अतिक्रमण के नोटिस की प्रति आदि इस वाद के साथ संलग्न है। उक्त खसरे की भूमि को वाद में आगे के पदो मे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा । वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत 2055 से मौके पर काविज है तथा वादी ने लाखों रूपये खर्च करके उक्त भूमि के चारो तरफ तारबंन्दी करवाई है एवं काबिल काश्त करवाया है। जिसने वादी के लाखों रूपये खर्च होने के बावजूद भी वादी को अतिकनी मान कर बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर सम्वत 2055 से वादी काविज है जिसमे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है तथा उक्त भूमि बावत मौके पर कोई विवाद नही है। उक्त भूमि पर वादी सम्वत 2055 से नियमित रूप से कब्जा काश्त रहते हुए वादी ने उक्त भूमि पर खातेदार कृषक दर्ज करने हेतु राजस्व नियमों के अनुसार सन 2005 से पूर्व किसी काश्तकार का सरकारी जमीन पर कब्जा काश्त है उसको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का प्रावधान है बावजूद प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी दर्ज नहीं की है तथा वादी को वादग्रस्त जमीन से बेदखल करने को उतारू है वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि पर वादी सम्वत 2055 से नियमित रूप से काबिज होने एवं नियमित रूप से काश्त करने एवं काविज होने एवं कब्जा होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। बावजूद वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि से जबरन वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयो में संभव नहीं है। तथा वादी के द्वारा खर्च किये गये लाखों रूपये भी बेकार चले जायेगे एवं वादी अपनी भूमि से भी वंचित हो जायेगा जो कानून एवं न्याय की मंशा कतई नही है। वाद कारण अभी हाल ही में वर्षा होने पर तथा वादी काश्त करने हेतु वादी मौके पर गया तो प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने वादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 575 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि पर काश्त करने से मना किया तथा काश्त करने की सूरत मे

ख़ल करने की धमकी दिनांक 20.08.2022 को स्पष्ट धमकी देने पर बमुकाम म रणसीगांव तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ है जो आज भी हो रहा है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 0.854 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे वादी नाम से म्यूटेशन भरने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया या। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य स प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव की जमाबंदी (वर्तमान) के सरकारी सिवायचक खाता खसरा सं. 575 रकबा 0.4854 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय के अनुसार कोई कन दर्ज नहीं है।

वादी द्वारा सरकारी सिवायचक भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का वाद स्तुत किया है वाद विधि विरूद्ध है। जवाब देहन्दा को घोर आपति है। खारिज रमाया जावें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र श नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम रणसीगांव के जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नंबर 575/37 रकबा 0.3230 हैक्टयर किस्म गै.मु.ढाणी के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। जिसके वर्तमान रेकर्डेड खातेदार गजेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह व रामप्रकाश पुत्र जवानराम का नाम इन्द्राज है जो के पूर्व में जमाबंदी संवत् 2068 के अनुसार खातेदार मैनादेवी, पतासी, पिस्ता पुत्रियान रूपाराम कौम माली सा.देह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड इन्दाज थी। वादी द्वारा बताया कि वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2055 से मौके पर काबिज है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि उक्त भूमि वादी की हो या वादी का सन् 2055 से कब्जा काश्त हो। वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा सं. 3 में कथन किया कि राजस्व नियमों के अनुसार सन् 2005 से पूर्व किसी काश्तकार का सरकारी जमीन पर कब्जाकाश्त है उसको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का प्रावधान है किन्तु वादी द्वारा उक्त कथन के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/परिपत्र/नियम पेश नहीं किया जिसमें राजस्व नियमों में इस प्रकार खातेदारी घोषित करने का प्रावधान हो। तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट की अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि सरकारी सिवायचक भूमि होना बताया जिसके संबंध में जमाबंदी प्रस्तुत की है तथा वादी के वाद पर घोर आपति जाहिर कर खारिज करने का निवेदन किया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

-: आदेश :-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिग्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :- ...सिंह बनाम प्रतिवादी :- राजस्थान सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 129/2022

निर्णय दिनांक :- 1/10/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पारस ...न अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब ...दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत ...रा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि विरूद्ध होने से खारिज किया ...ता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

...र्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ...की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1/10/2025 को जारी ...की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
...य अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
...य वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
...य वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
...नताना वकील			खर्चा गवाहान		
...स कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
...त् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
...फरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
...ज़ान			मीजान		

...ोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा